राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012

संख्याः 53(2)/18-मा.स./एनएससी

दिनांक 22.03.2023

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 के दौरान सेवा निवृत हो चुके औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न का पालन करने वाले कर्मचारियों को उपदान तथा अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना के सम्बन्ध में।

डी.पी.ई के कार्यालय आदेश संख्या डब्लूय-02/0029/2021-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- XI-21 दिनांक 25.10.2021 के अनुसार लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 के दौरान सेवा निवृत हो चुके औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न का पालन करने वाले कर्मचारियों को उपदान तथा अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना काल्पनिक (नोशनल) मंहगाई भत्ते की दर से करने का लिया निर्णय लिया गया है।

लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्लूय-02/0039/2017-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.-XVI/20 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के दौरान महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी तथा दिनांक 01.07.2020 से देय औद्योगिक महंगाई भत्ते की लागू दर से भुगतान किया जाना जारी था।

उक्त आदेश के आलोक में दिनांक 01.10.2020 को अथवा उसके बाद 30.06.2021 तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को देय उपदान तथा अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना दिनांक 01.07.2020 से देय औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर से गणना की गई है।

डी.पी.ई के कार्यालय आदेश संख्या डब्लूय-02/0029/2021-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- XI-21 दिनांक 25.10.2021 के अनुसार उपदान तथा अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति लाभ है जो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारिंयो को देय है, इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.10.2020 को या उसके बाद 30.06.2021 तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपदान तथा अर्जित अवकाश् नकदीकरण के भुगतान की गणना के लिए काल्पनिक औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर को माना जाएगा। गणना के उददेश्य से काल्पनिक औद्योगिक महंगाई भत्ते की दरे निम्नानुसार देय रहेगी।

| अवधि के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी | गणना के उददेश्य से काल्पनीक महंगाई भत्ते की प्रतिशत |
|---|---|
| 01.10.2020 से 31.12.2020 | मूल वेतन का 20.9 प्रतिशत |
| 01.01.2021 से 31.03.2021 | मूल वेतन का 23.7 प्रतिशत |
| 01.04.2021 से 30.06.2021 | मूल वेतन का 23.2 प्रतिशत |

ऊपर संदर्भित लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.10.2021, के अनुपालन में लोक उधम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता पाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान 2017 से संशोधित किए गए हैं के मामले में लागू होगें।

पूजा शर्मा 22/03/2023

(पूजा शर्मा)
सहायक प्रवन्धक (मा. सं.)

प्रतिलिपिः
1. सभी क्षेत्रीय प्रवन्धक, एनएससी लिमिटेड.।
2. सभी फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी लिमिटेड.।
3. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष,एन.एस.सी. मुख्यालय, नई दिल्ली।
4. उप महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/(क.भ.नि.). एन.एस.सी. मुख्यालय, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, एन.एस.सी. मुख्यालय, नई दिल्ली।
6. निदेशक (वित्त) के निजी सचिव, एन.एस.सी. मुख्यालय, नई दिल्ली।
7. निदेशक (वाणिज्य) के निजी सचिव, एन.एस.सी. मुख्यालय, नई दिल्ली।
8. सुचना तकनीकी विभाग- उचित कार्यावाही हेतू।
9. गार्ड फाइल ।